RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 09/2023

प्रार्थीगण–

1. श्री ईश्वरसिंह पुत्र थानसिंह
2. श्री गोविन्दसिंह पुत्र थानसिंह
3. श्री रामसिंह पुत्र थानसिंह
4. श्रीमती सुभा कंवर पत्नी थानसिंह
5. श्री दीपसिंह पुत्र नाथुसिंह
6. श्री किशनसिंह पुत्र नाथुसिंह जातियान राजपुत, निवासीयान मवड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना।
2. श्रीमान परियोजना निर्देशक एवं अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. राष्ट्रीय उच्च मार्ग वृत जोधपुर।

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध बालोतरा–साण्डेराव–जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 24/850 से 58/000 तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश क्रमांक 4674 दिनांक 11.08.2020 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवलराम, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री लादूराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 11.08.2020 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर 05.07.2023 एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 24 / 850 से किमी 58 / 000 तक के निर्माण (चौड़करण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने / चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मूठली, थापन, भीमगोडा, मवडी, महीलावास) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 बीघा, किस्म चाही अव्वल मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त भूमि की किस्म अव्वल चाही को मानते हुए जारी न कर उक्त खसरान की भूमि की किस्म मगरा मानते हुए खातेदार को आलोच्य अवार्ड दिनांक 11.08.2020 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड में संशोधन करते हुए उक्त खसरा की भूमि की किस्म चाही अव्वल के आधार पर पारित करते हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा 30 रकबा 4.0064 बीघा, किस्म चाही अव्वल, मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में अवस्थित है। खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 हैक्टयर में से 0.1477 हैक्टैयर भूमि एन. एच. 325 के निर्माण हेतु अवाप्त कर प्रार्थीगण के पक्ष में 1100028 / –रू का मुआवजा अवार्ड कमांक 4674 दिनलांक 11.08.2020 को तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सिवाना द्वारा जारी किया गया है। उक्त खसरा की किस्म चाही अव्वल दर्ज है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 24 / 850 से किमी 58 / 000 तक के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को सक्षम

प्राधिकारी नियुक्त किया गया। इसके पश्चात धारा 3ए की अधिसचूना संख्या 1164 दिनांक 15.03.2018 जारी हुई, जिसमें भूमि की किस्म भूलवश मगरा दर्ज हो जाने पर धारा 3डी अधिसूचना संख्या 6066 दिनांक 07.12.2018 में भी उक्त खसरा के किस्म मगरा दर्ज हो गया था, जबकि अवार्ड जारी करते समय प्रार्थीगण की भूमि को उक्त खसरे की किस्म चाही अव्वल मानकर मुआवजा निर्धारण किया गया, जिसका विवरण अवार्ड संख्या 4674 दिनांक 11.08.2020 के कम संख्या 74 पर अंकित है। प्रार्थीगण की भूमि एन.एच–325 पर स्थित होने के कारण सिंचित डीएलसी दर से मुआवजा तद्नुसार निर्धारण किया गया। मौजा मवड़ी के अवाप्त खसरा नंबर 29 व 30 में अवाप्त रकबें में अन्तर के अनुसार ही मुआवजा निर्धारण में अन्तर है। दोनों ही खसरों में एक समान डीएलसी दर 318114/–रू प्रतिबीघा को मानकर ही मुआवजा निर्धारण किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन समक्ष प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आलोच्य अवार्ड उक्त खसरे की किस्म को चाही अव्वल मानते हुए प्रार्थीगण को जारी किया गया, लिहाजा प्रार्थीगण के द्वारा गलत तथ्य पेश कर आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में खसरा नंबर 30 रकबा 4.0064 हैक्टर भूमि अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के रिकॉर्ड में वक्त नोटिकिकेशन उक्त खसरे की किस्म चाही अव्वल नहीं थीं, बल्कि मगरा किस्म अंकित थी। इसलिए किस्म मगरे का विवरण नोटिफिकेशन में लिखा गया था। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 325 हेतु प्रार्थीगण की अर्जन भूमि के प्रारंभिक सर्वे अनुसार जारी 3ए की अधिसूचना में प्रार्थीगण के भूमि की किस्म भूलवश मगरा अंकित नहीं गई, बल्कि तत्कालीन पटवारी/राजस्व अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार नोटिफिकेशन में जारी की गयी थी। जब तक अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा प्रार्थीगण को देने हेतू कोई पत्र प्रेषित नहीं किया जाता, तब तक नियमानुसार मुआवजा प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थीगण को अदा करने को कोई नियम नहीं है। धारा 3क(1) के अनुसार अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 21 दिन के भीतर हितबद्ध समस्त व्यक्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिकथन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योगय है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अधिवक्ता प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 बीघा, किस्म चाही अव्वल, मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरान नंबर की भूमि की किस्म वक्त सेटलमेंट चाही अव्वल दर्ज है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 325 हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खंसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 में से रकबा 0.1477 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरा की अवाप्त भुमि का मुआवजा किस्म मगरा मानते हुए 1100028/–रू निर्धारित किए है, जबकि उक्त खसरे की भूमि की किस्म वास्तविक वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक चाही अव्वल ही रही है। उक्त खसरे की अवाप्त भूमि की किस्म भूलवश से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना का.आ. 1164 दिनांक 15.03.2018 को मगरा अंकित हो गया, लेकिन वास्तव में उक्त खसरे की किस्म चाही अव्वल थी। प्रार्थीगण द्वारा कई बार सक्षम प्राधिकारी श्रीमान भूमि अवाप्ति अधिकरी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना को लिखित शिकायत पेश कर वास्तविक मुआवजे हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तहसीलदार सिवाना को दिनांक 06.07.2022 को पत्र जारी कर प्रश्नगत खसरा संख्या 30 की किस्म 3ए जारी करने के समय व 3 जी जारी करने के समय एक समान होना प्रमाणित होने के संबंध में जांच कर रिपोर्ट पेश करने व राजस्व रेकर्ड एवं उचित दस्तावेज पेश करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार सिवाना व हल्का पटवारी मवड़ी दिनांक 12.07.2022 को अपनी मौका रिपोर्ट मय पत्र जारी प्रश्नगत खसरा संख्या 30 की किस्म वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक चाही अव्वल होना बताया एवं साथ ही यह भी बताया कि उक्त खसरे की किस्म कभी बदली ही नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 0.1700 हैक्टयर किस्म गै. मु. बेरा तथा खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 हैक्टयर किस्म चाही अव्वल की स्थित है, जिसमें से खसरा संख्या 29 में से अर्जित रकबा 0.1092 हैक्टयर भूमि का मुआवजा राशि रूपये 8,13,183/– का निर्धारण उसकी वास्तविक किस्म के अनुसार किया गया, जो हम प्रार्थी खातेदारों को प्राप्त हो गया है, लेकिन उसी के सेढे पर अवस्थित खसरा संख्या 30 में से अवाप्त 0.1477 हैक्टयर भूमि का मुआवजा उसकी वास्तविक किस्म चाही अव्वल के अनुसार निर्धारित नहीं किया है। प्रार्थीगण की भूमि अर्जन के संबंध में प्रार्थीगण इसी विश्वास में थे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार सही राशि का एवार्ड

जिला कलक्टर
बालोतरा

जारी किया होगा, लेकिन प्रार्थीगण स्वंय के अन्य खसरा संख्या 29 में से अवाप्त रकबे की मुआवजा राशि व खसरा संख्या 30 में से अवाप्त रकबे की निर्धारित मुआवजा राशि उसके अवाप्त रकबे के अनुसार में बहुत कम होना प्रतीत होने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि मुझे वास्तविक आवाप्त भूमि का मुआवजा उसकी किस्म चाही अव्वल से नहीं कर किस्म मगरा मानकर निर्धारित कर अवार्ड जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से अवार्ड राशि संशोधित किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान सक्षम प्राधिकारी, कार्यकारी ऐजेंसी व मुआवजा देने वाली संस्था के मध्य विभिन्न प्रकार का पत्राचार अवश्य हुआ एवं उक्त पत्राचार में खसरा संख्या 30 की किस्म को 3ए के गजट अधिसूचना में भूलवश गलत होना स्वीकार कर वास्तविक किस्म चाही अव्वल होना भी प्रमाणित माना तथा उसी अनुसार वास्तविक मुआवजा राशि 2341023/– रूपये होना भी स्वीकार करने का पत्राचार भी हुआ, लेकिन उक्त मुआवजा राशि आज दिन तक प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही हल्का पटवारी मवड़ी द्वारा मौका फर्द दिनांक 12.07.2022 के आधार पर प्रार्थीगण की आववाप्त भूमि की वास्तविक किस्म चाही अव्वल जाहीर की गई एवं उक्त मौका फर्द के आधार पर श्रीमान तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 12.07.2022 को श्रीमान सक्षम प्राधिकारी को जारी अपने पत्र में वादग्रस्त खसरा संख्या 30 की किस्म वक्त सेटलमेंट से आज तक चाही अव्वल होना बताया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा उक्त खसरा के आवाप्तसुदा भूमि की किस्म मगरा मानते हुए पारित अवार्ड दिनांक 11.08.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 30 के किस्म चाही अव्वल मानते हुए ब्याज सहित संशोंधित अवार्ड पारित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिवाना को निर्देश फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 बीघा, किस्म चाही अव्वल मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में अवस्थित है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 24/850 से किमी 58/000 तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मूठली, थापन, भीमगोडा, मवड़ी, महीलावास) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 30 रकबा 4.0064 बीघा, किस्म चाही अव्वल, मौजा खेतासर, पटवार हल्का मवड़ी, तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त राजमार्ग निमार्ण हेतु खसरा नंबर 30 में से 0.1477 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 1164 दिनांक 15.03.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6066 दिनांक 07.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 17.12.2018 को प्रकाशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपति यह है कि उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त भूमि की किस्म अव्वल चाही को मानते हुए जारी न कर उक्त खसरान की भूमि की किस्म मगरा मानते हुए खातेदार को आलोच्य अवार्ड दिनांक 11.08.2020 को पारित कर दिया गया, उक्त आलोच्य अवार्ड अवाप्त भूमि की किस्म चाही अव्वल मानते हुए पुनः संशोधित ब्याज सहित अवार्ड पारित किया जाए। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उक्त खसरे की अवाप्त भूमि की किस्म भूलवश से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना का.आ. 1164 दिनांक 15.03.2018 को मगरा अंकित हो गया, लेकिन वास्तव में उक्त खसरे की किस्म सेटलमेंट से आज दिन तक चाही अव्वल थी। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का अवलोकन किया, जिसमें धारा 3ए की अधिसचूना संख्या 1164 दिनांक 15.03.2018 जारी हुई एवं भूमि की किस्म भूलवश मगरा दर्ज हो जाने पर धारा 3डी अधिसूचना संख्या 6066 दिनांक 07.12.2018 में भी उक्त खसरा के किस्म मगरा दर्ज हो गया था, जबकि अवार्ड जारी करते समय प्रार्थीगण की भूमि को उक्त खसरे की किस्म चाही अव्वल मानकर मुआवजा निर्धारण किया गया, जिसका विवरण अवार्ड संख्या 4674 दिनांक 11.08.2020 के कम संख्या 74 पर अंकित है, होना बताया गया। अलावा इसके अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 एवं 30 का मुआवजा जो सक्षम प्राधिकारी

जिला कलक्टर
बालोतरा

द्वारा आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है, उन दोनो खसरा संख्या 29 व 30 का जारी अवार्ड राशि में अंतर पाया गया है। इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि एन.एच–325 पर स्थित होने के कारण सिंचित डीएलसी दर से मुआवजा तद्नुसार निर्धारण किया गया। मौजा मवड़ी के अवाप्त खसरा नंबर 29 व 30 में अवाप्त रकबें में अन्तर होने से ही मुआवजा निर्धारण में अन्तर पाया गया है। दोनों ही खसरों में एक समान डीएलसी दर 318114/–रू प्रतिबीघा को मानकर ही मुआवजा निर्धारण किया गया है, जो परिशिष्ट "क" में अंकित है, लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख अवलोकन किया, जिसमें आलोच्य भूमि की अवाप्ति का अवार्ड समक्ष प्राधिकारी सिवाना के आदेश क्रमांक 4674 दिनांक 11.08.2020 को जारी होना बताया गया। जिसमें उक्त खसरा की अवाप्त की गई भूमि की किस्म वक्त 3ए की अधिसूचना मगरा दर्ज होना पाया गया, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त खसरे की किस्म चाही अव्वल मानते हुए 3जी अवार्ड जारी किया गया, जो आलोच्य अवार्ड के कम संख्या 74 पर चाही अव्वल अंकित होना पाया गया। अलावा इसके मूल अभिलेख के संलग्न में परिशिष्ट "क" में मौजा मवडी के खसरा नंबर 30 के अवाप्तसुदा भूमि 0.1477 की किस्म भूमि चाही अव्वल मानते हुए आलोच्य अवार्ड जारी किया गया, अंकित होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा की अवाप्त की गई भूमि वक्त धारा 3ए खसरा संख्या 30 की भूमि अवाप्त की गई भूमि की किस्म मगरा अंकित होना पाया गया, लेकिन समक्ष प्राधिकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त खसरा के भूमि की किस्म चाही अव्वल को मानते हुए आलोच्य 3जी अवार्ड जारी किया जाना प्रतीत होता है। अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा अवाप्त भूमि की किस्म चाही अव्वल के संबंध में कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में आपति दर्ज करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन प्रार्थीगण ने मद संख्या 2 में प्रार्थीगण द्वारा आपति पेश करने पर अवाप्त भूमि की किस्म चाही अव्वल के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2022 को पत्राचार करने का कथन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वर्ष 2022 में आपति दर्ज कराई जाना प्रतीत होता है, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 15.03.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 07.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 11.08.2020 के पारित होने के लगभग 2 साल बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के

जिला कलक्टर
जालोरा

प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2022 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा **"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है"**, की पालना नहीं की गई।। जहां तक प्रार्थीगण के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थीगण के आवाप्तासुदा भूमि की किस्म चाही अव्वल थी और आलोच्य अवार्ड उक्त भूमि की किस्म मगरा मानते हुए जारी किया है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि तत्समय अधिनियम की धारा 3जी के तहत अवार्ड उक्त भूमि की किस्म मगरा मानते हुए किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिवाना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश क्रमांक 4674 दिनांक 11.08.2020 विधि के अनुरूप एवं पूर्णतया सही पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।
9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।

जिला कलक्टर
बालोतरा